# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

**रसद प्रार्थना पत्र संख्या 25/2024**

(सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 12/2024)

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी

..................प्रार्थी

बनाम

1—श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, ग्राम भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर।

.........अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

उपस्थित :—

1. श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत — अप्रार्थी अभिभाषक

*आदेश*

दिनांक 3/2/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करने के सबंध में प्राप्त मुखबीर सूचना के क्रम में जांच दल हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल भवानीखेड़ा, नसीराबाद की दुकान पर पहुँचें। मौकें पर दुकान के सामने एक पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 खडी पायी जिस पर एच.पी.गैस तथा मलका गैस लिखा होना पाया गया। उक्त वाहन में कुल 66 गैस सिलेण्डर पाए गये, जिनमें से 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए। मौके पर श्री विजय कुमार ने बताया कि दुकान उन्होंने किराये पर ले रखी है तथा पिकअप वाहन जिसमें सिलेण्डर बरामद हुए वह भी उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री विजय कुमार द्वारा गैस सिलेण्डरो व पिकअप वाहन सबंधित कोई भी बिल वाउचर, गैट पास, गाडी की आर.सी एवं अन्य किसी भी प्रकार का कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गाडी व सिलेण्डरों की प्राप्ति के बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया कि मैं सिलेण्डर मलका गैस एजेन्सी के गोदाम से पिकअप वाहन में भरकर लाता हूँ और फिर गांव में उपभोक्ताओ को आपूर्ति करता हूँ। वक्त जांच विजय कुमार के पास गैस एजेन्सी का कोई आई कार्ड नहीं मिला। उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी के पाए गये। जिसमें भरे हुए गैस सिलेण्डरों में कुल एलपीजी घरेलू गैस 259.1 किग्रा पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 66 घरेलू गैस सिलेण्डर 259.1 किग्रा एलपीजी वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अप्रार्थी व वाहन स्वामी श्री महेन्द्र खान द्वारा कब्जेराज लिये गये पिकअप वाहन संख्या RJ-29-GA-8433 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष को मूल प्रार्थना पत्र मय सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 23.08.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करने के सबंध में प्राप्त मुखबीर सूचना के कम में जांच दल हेमत कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल भवानीखेडा, नसीराबाद की दुकान पर पहुँचें। मौकें पर दुकान के सामने एक पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 खड़ी पायी जिस पर एच.पी. गैस तथा मलका गैस लिखा होना पाया गया। उक्त वाहन में कुल 66 गैस सिलेण्डर पाए गये, जिनमें से 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए। मौके पर श्री विजय कुमार ने बताया कि दुकान उन्होंने किराये पर ले रखी है तथा पिकअप वाहन जिसमें सिलेण्डर बरामद हुए वह भी उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री विजय कुमार द्वारा गैस सिलेण्डरो व पिकअप वाहन सबंधित कोई भी बिल वाउचर, गैट पास, गाड़ी की आर.सी एवं अन्य किसी भी प्रकार का कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गाडी व सिलेण्डरों की प्राप्ति के बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया कि मैं सिलेण्डर मलका गैस एजेन्सी के गोदाम से पिकअप वाहन में भरकर लाता हूँ और फिर गांव में उपभोक्ताओ को आपूर्ति करता हूँ। वक्त जांच विजय कुमार के पास गैस एजेन्सी का कोई आई कार्ड नहीं मिला। उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी के पाए गये। जिसमें भरे हुए गैस सिलेण्डरों में कुल एलपीजी घरेलू गैस 259.1 किग्रा पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स देवराज गैस एजेन्सी, नासून (मसूदा) ब्यावर के कार्मिक श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री अमरूद्दीन को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया—

| S.N. | S.R.NO | CO. | T.W. | G.W | N.W.GAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081164T | SEAL HP | 16.0 | 30.2 | 14.2 |
| 2 | 889602S | SEAL HP | 15.6 | 29.8 | 14.2 |
| 3 | 275847S | SEAL HP | 15.8 | 28.5 | 12.7 |
| 4 | 866688T | SEAL HP | 15.6 | 29.7 | 14.1 |
| 5 | 048201P | SEAL HP | 15.7 | 29.9 | 14.2 |
| 6 | 342941S | SEAL HP | 15.6 | 29.8 | 14.2 |
| 7 | 175179T | SEAL HP | 15.6 | 29.8 | 14.2 |
| 8 | 836893T | SEAL HP | 15.7 | 30 | 14.3 |
| 9 | 031610 | SEAL HP | 16.8 | 31 | 14.2 |
| 10 | 380190S | SEAL HP | 16.5 | 30.7 | 14.2 |
| 11 | 354050 | SEAL HP | 15.7 | 30.1 | 14.4 |
| 12 | 674065J | SEAL HP | 15.5 | 30.8 | 15.3 |
| 13 | 211353S | SEAL HP | 15.7 | 30.0 | 14.3 |
| 14 | 407785S | SEAL HP | 15.6 | 29.8 | 14.2 |
| 15 | 0442568 | SEAL HP | 15.9 | 29.5 | 13.9 |
| 16 | 7247568 | SEAL HP | 15.6 | 29.8 | 14.2 |
| 17 | 2636948 | SEAL HP | 15.6 | 29.7 | 14.1 |
| 18 | 779011 | UN SEAL HP | 17.1 | 31.3 | 14.2 |

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 127032 | UN SEAL HP | 16.1 | 16.2 | 1 |
| 20 | 16727T | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 21 | 34989S | UN SEAL HP | 15.6 | 15.8 | 2 |
| 22 | 281412T | UN SEAL HP | 16.0 | 16.0 | 0 |
| 23 | 62602 | UN SEAL HP | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 24 | 011864T | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 25 | 448646 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.8 | 1 |
| 26 | 22903S | UN SEAL HP | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 27 | 184084S | UN SEAL HP | 15.5 | 15.6 | 1 |
| 28 | 399161 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.8 | 1 |
| 29 | 093967 | UN SEAL HP | 15.8 | 15.8 | 0 |
| 30. | 751898 | UN SEAL HP | 15.8 | 15.9 | 1 |
| 31 | 561018 | UN SEAL HP | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 32 | 284986 | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 33 | 141077S | UN SEAL HP | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 34 | 686946 | UN SEAL HP | 15.6 | 15.7 | 1 |
| 35 | 391092 | UN SEAL HP | 15.8 | 16.0 | 2 |
| 36 | 480152F | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 37 | 624545 | UN SEAL HP | 15.6 | 15.9 | 3 |
| 38 | अपठनीय | UN SEAL HP | 16.6 | 16.6 | 0 |
| 39 | 104520 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.7 | 0 |
| 40 | 420118J | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 41 | 574202 | UN SEAL HP | 15.6 | 16.0 | 4 |
| 42 | 30024T | UN SEAL HP | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 43 | 414054S | UN SEAL HP | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 44 | 638152 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.7 | 0 |
| 45 | 082450 | UN SEAL HP | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 46 | 038331S | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 47 | 901125 | UN SEAL HP | 16.7 | 17.5 | 8 |
| 48 | 761879S | UN SEAL HP | 15.8 | 15.9 | 1 |
| 49 | 0244097 | UN SEAL HP | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 50 | 213609 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.7 | 0 |
| 51 | 304050S | UN SEAL HP | 16.0 | 16.1 | 1 |
| 52 | 439113T | UN SEAL HP | 15.5 | 15.9 | 4 |
| 53 | 479215T | UN SEAL HP | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 54 | 564346P | UN SEAL INDANE | 15.3 | 15.3 | 0 |
| 55 | 151787T | UN SEAL INDANE | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 56 | 4673S | UN SEAL INDANE | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 57 | 614579 | UN SEAL INDANE | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 58 | 139433S | UN SEAL INDANE | 15.6 | 15.6 | 0 |
| 59 | 297140S | UN SEAL INDANE | 15.7 | 15.8 | 1 |

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0899155 | UN SEAL INDANE | 16.0 | 16.0 | 0 |
| 61 | अपठनीय | UN SEAL INDANE | 15.7 | 16.1 | 4 |
| 62 | 429448 | UN SEAL HP | 15.9 | 16.2 | 3 |
| 63 | 384206T | UN SEAL HP | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 64 | 424097 | UN SEAL HP | 15.7 | 15.7 | 0 |
| 65 | 430763 | UN SEAL HP | 15.8 | 15.8 | 0 |
| 66 | 467509S | UN SEAL HP | 15.7 | 15.8 | 1 |
| कुल | | | | | 259.1 |

प्रथम दृष्टया पाया गया कि श्री विजय कुमार द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से एलपीजी का परिवहन व आपूर्ति का कार्य बिना वैध दस्तावेज एवं अनुमति के घरेलू गैस सिलेण्डरो का कार्य किया जा रहा है जिसके किसी भी प्रकार के दस्तावेज वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये गये। जब्तशुदा 66 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैसर्स देवराज गैस एजेन्सी, नासून (मसूदा) ब्यावर के कार्मिक श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री अमरूद्दीन को तथा जब्त पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 29 जीए 8433 को नजदीकी पुलिस थाना नसीराबाद थाना सदर के श्री मोहनलाल, हेड कॉस्टेबल बेल्ट नं0 1052 को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 66 घरेलू गैस सिलेण्डर 259.1 किग्रा एलपीजी वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस मे वाहन छोडने हेतु प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट कि दिनांक 23.08.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अपनी टीम के साथ प्रार्थीगण की दुकान से पिकअप संख्या आर.जे. 29 जी.ए 8433 को व कुल 66 सिलेण्डर जिसमें 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए थे तथा शेष खाली सिलेण्डरो को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त किया था। प्रार्थीगण मलका गैस एजेन्सी में डिलेवरी मैन है तथा मलका गैस एजेन्सी का परिचय पत्र भी प्रार्थीगण के पास है तथा प्रार्थीगण उक्त एजेन्सी के मार्फत गांव उपभोक्ताओं से खाली सिलेण्डर ग्राहको से एकत्रित कर मलक गैस एजेन्सी के गोदाम में ले जाता है। तथा भरे हुए गैस सिलेण्डरों को लाकर मलक गैस एजेन्सी के ग्राहको को सप्लाई करता है। प्रार्थीगण ने जिला रसद अधिकारी जो मौके पर गैस सिलेण्डर के मलका गैस एजेन्सी के बाउचर व डायरिया दिखाये परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी के उक्त सिलेण्डरों व गाडी को जब्त कर लिया। प्रार्थीगण के पास जब्तशुदा पिकअप के सेल लेटर व इकरारनामा है तथा प्रार्थीगण को उक्त पिकअप के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की दूसरी वाहन मलका गैस एलेन्सी में लगी हुई है परन्तु घटना की दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थीगण की उक्त पिकअप खराब हो गयी थी इस कारण प्रार्थीगण ने अपने घर पर खडी पिकअप संख्या आर.जे. 29 जी ए 8433 में खाली व भरे सिलेण्डर रखकर दूसरी गाडी का काम करवाने चले गये। अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को समाप्त कर वाहन व जब्तशुदा सिलेण्डरो को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने की कृपा करें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, सुपुर्दगीनामा तथा अप्रार्थी की बहस में प्रकट तथ्यों पर विचार किये जाने पर पाया कि अप्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर निर्णय के साथ–साथ मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना भी न्यायोचित होगा। अतः मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी इसी आदेश से किया जा रहा है। दिनांक 23.08.2024 को घरेलू गैस

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करने के सबंध में प्राप्त मुखबीर सूचना के क्रम में जांच दल हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल भवानीखेडा, नसीराबाद की दुकान पर पहुँचें। मौकें पर दुकान के सामने एक पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 खडी पायी जिस पर एच.पी.गैस तथा मलका गैस लिखा होना पाया गया। उक्त वाहन में कुल 66 गैस सिलेण्डर पाए गये, जिनमें से 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए। मौके पर श्री विजय कुमार ने बताया कि दुकान उन्होंने किराये पर ले रखी है तथा पिकअप वाहन जिसमें सिलेण्डर बरामद हुए वह भी उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री विजय कुमार द्वारा गैस सिलेण्डरो व पिकअप वाहन सबंधित कोई भी बिल वाउचर, गैट पास, गाडी की आर.सी एवं अन्य किसी भी प्रकार का कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गाड़ी व सिलेण्डरों की प्राप्ति के बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया कि मैं सिलेण्डर मलका गैस एजेन्सी के गोदाम से पिकअप वाहन में भरकर लाता हूँ और फिर गांव में उपभोक्ताओ को आपूर्ति करता हूँ। वक्त जांच विजय कुमार के पास गैस एजेन्सी का कोई आई कार्ड नहीं मिला। उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी के पाए गये। जिसमें भरे हुए गैस सिलेण्डरों में कुल एलपीजी घरेलू गैस 259.1 किग्रा पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया।

इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी मय 259.01 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि कब्जेराज लिये सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें जिला रसद अधिकारी उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे। प्रार्थी ने पिकअप वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर के परिवहन में साबित होने के फलस्वरूप रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ती राशि आरोपित की जाती हैं। सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये नीलामी निस्तारण किया जावे। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2024 का निस्तारण इसी आदेश में किया गया है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/2/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर